सर्वोच्च प्राथमिकता / फैक्स से

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य स्क्रीनिंग // 2017-18 // 2350 **// वाणिज्य कर**

कार्यालय कमिश्नर राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ / दिनांक 20 / जुलाई, 2017

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-2163 दिनांक 12-07-2017 व पत्र संख्या-2276 दिनांक 18-07-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्मिक अनुभाग के शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1 दिनांक 26-10-1985 के अनुपालन में दिनांक 31-03-2017 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समूह-ग एवं समूह-घ के कार्मिकों को अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त करने हेतु शासनादेश संख्या-13/5-89-का-1-1989 दिनांक 06-02-1989, शासनादेश संख्या-13/6/98-का-1-98 दिनांक 21-05-1998, शासनादेश सख्या-868/13/6-98-का-1-2000दिनांक 23-09-2000, शासनादेश संख्या-199/का-1-2001 दिनांक 23-09-2000 तथा शासनादेश संख्या-13(1)2007/का-1-2007 दि0 25-01-2007 को ध्यान में रखते हुये नियुक्ति प्राधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करके अनिवार्य रुप से सेवानिवृति के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर क्रमश: दिनांक 17-07-2017 व दिनांक 24-07-2017 तक वांछित सूचना मुख्यालय पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

सन्दर्भित प्रकरण में उप सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन लखनऊ के **पत्रांक-मु0स0-1/11-3-2017-144/ 17 दि0 20-07-2017 द्वारा वांछित सूचना / प्रमाणन शुक्रवार की बैठक हेतु शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये हैं। चूंकि प्रकरण की मानीटरिंग मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है**। अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि वांछित स्पष्ट सूचना / प्रमाणन फैक्स के माध्यम से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि स्क्रीनिंग से सम्बन्धित सूचना समयान्तर्गत सूचना शासन को प्रेषित की जा सके।

(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर कर
मुख्यालय, लखनऊ ,

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को पत्र की एक प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे तत्काल विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें। 20.7.17

डिप्टी कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर कर
मुख्यालय, लखनऊ ,